भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
पोस्ट बॉक्स नं.11500,मुम्बई-400 020

सं. 28(19)/2006-एम एस/ **दिनांक-06 फरवरी/07**

परिपत्र सं.5
(2006-07 श्रृंखला)

विषय : प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (प्रौउनियो)

1. तकनीकी सलाहकार सह मानिटरींग समिति (त स मा स) की में दिनांक 13 नवम्बर 2006 को मुम्बई में आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय

(i) जिन कम्पनियों ने संतोषजनक रूप से चालू रहने में सक्षम इकाइयों का अधिग्रहण किया हो, उन्हें इस प्रौउ नि यो के अर्न्तगत शामिल करना ।

जो कम्पनियाँ संतोषजनक रूप से चालू रहने में सक्षम इकाइयों को अधिग्रहण करती हैं, वे कम्पनियाँ अधिग्रहण की जाने वाली इकाइयों द्वारा प्रौ उ नि यों के अन्तर्गत शामिल मशीनरी पर लिये गये ऋणों को स्थानांतरित करके प्रौ उ नि यों के अन्तर्गत लाभ उठा सकती है ।
यद्यपि परिपत्र सं. 2 (2004-05 श्रृंखला) दिनांक 27 मई 2004 की शर्तो के अनुसार प्रौ उ नि यो के अंतर्गत ब्याज प्रतिपूर्ति के लिए कुल अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी इसमें दो वर्ष का विलम्बन काल सम्मिलित है । अधिग्रहण करने वाली कम्पनी ब्याज की प्रतिपूर्ति के 10 वर्ष में मूल कम्पनी को प्रौ उ नि यो के अन्तर्गत प्राप्त उक्त सुविधा अवधि भी शामिल है ।

(ii) मौजूदा कम्पनी के सभी अस्तियों एवं देयताओं के स्थानांतरण द्वारा नयी गठित संयुक्त उपक्रम कम्पनी (प्वांइट वेंन्चर कम्पनी) को प्रौ उ नि यो के अन्तर्गत सम्मिलन ।

मौजूदा कम्पनी के सभी आस्तियों एवं देयताओं के स्थानांतरण द्वारा गठित संयुक्त उपक्रम की कम्पनी प्रौ उ नि यो के अन्तर्गत लाभ उठा सकेंगी बशर्ते परियोजना प्रौ उ नि यो के साम्य हो । हलांकि प्रौ उ नि यों के अंतर्गत ब्याज प्रतिपूर्ति 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगी इसमें परिपत्र सं. 2 (2004-05 श्रृंखला) दिनाक 27 मई 2004 किसी के अनुसार स्थगन अवधि दो वर्ष भी शामिल है । अत: नवीन गठित संयुक्त उपक्रम की कम्पनी के लिए ब्याज प्रतिपूर्ति की 10 वर्ष की अवधि में वह अवधि भी सम्मिलित होगी जिसके लिए मौजूदा कम्पनी ने प्रौ उ नि यो के अंतर्गत सहायता ले ली है ।

(iii) क्या आवधिक ऋण प्राप्ति पर,अदायगी के बाद प्रौ उ नि यो का लाभ उठाया जा सकता है इस बारे में स्पष्टीकरण ।

वस्त्र एवं जूट उद्योग की इकाईयाँ जिन्होंने मशीनरी के संस्थापन के लिए लिये गए आवधिक ऋण की अदाएगी कर दी हो । ऐसी इकाईयाँ उनकी आवधिक ऋण की अंतिम किस्त की अदाएगी के बाद प्रौ उ नि यो के लाभ का दावा एक वर्ष तक कर सकती हैं बशर्ते परियोजना प्रौ उ नि यो के साम्य हों और साथ ही वह प्रौ उ नि यों के तकनीकी एवं वित्तीय मानकों के अनुरूप हों ।

(iv) अलग- अलग विक्रेताओं से खरीदें गए मशीनरी के विभिन्न अवयवों को जोड़कर मशीनरी बनाई गई हैं । क्या वे प्रौ उ नि यो के लाभ के हकदार हैं या नहीं के बारे में स्पष्टीकरण ।

अलग-अलग विक्रेताओं से खरीदे गए । वस्त्र एवं जूट उद्योग की मशीनरी के विभिन्न घटक जो जिन्हें जोड़कर मशीनरी तैयार की जाती है , वे प्रौ उ नि यों के लाभ प्राप्ति के हकदार होंगे बशर्ते मशीनरी परियोजना प्रौ उ नि यों के साथ हों ।

2. सिडबी / आई एफ सी आई द्वारा अतिरिक्त बैंकों का सहयोजन ।

भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) जो कि वस्त्र उद्योग के लघु औद्योगिक इकाई क्षेत्र के लिए नोडल एजेन्सी है, उसने सेन्चुरीयन बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड एवं वसंतदादा सेतकारी सहकारी बैंक लि. को सहयोजित किया है ।

भारतीय आद्योगिक वित्तीय निगम लि. जोकि जूट उद्योग के लिए नोडल एजेन्सी है, ने सिण्डीकेट बैंक को सहयोजित किया है ।

3. ऋणदाता एजेन्सियों द्वारा वस्त्र आयुक्त कार्यालय से 20 प्रतिशत प्रौ उ नि यों के तहत ऋण सम्बद्ध आर्थिकी सहायता की प्राप्ति, के लिए दावा प्रस्तुत करने वाले प्रपत्र की सारणी सं. 6(बी) में संशोधन दिनांक 8/9/2003 का परिपत्र सं. 5 (2005-06 श्रृंखला)

20 प्रतिशत ऋण सम्बद्ध आर्थिकी सहायता सहयोजित प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों द्वारा प्राप्त दानों ने विकेन्द्रीकृत विद्युत करघा क्षेत्रों के लिए प्रौ उ नि यों के तहत वेफ्ट इन्सरर्शन रेट (डब्लू आई आर) की आयातित मशीनरी से संबंधित है उनमें विसंगति दिखाई देती है । विसंगति को दूर करने के लिए आवश्यक है कि करघें की गति एवं चौड़ाई डब्लू आई आर की गणना के लिए फार्मेट में बताई जाए । तदनुसार ऋणदाता संस्थानों द्वारा 20 प्रतिशत सी एल सी एस - टफ्स के अंतर्गत सहायता प्राप्ति के लिए वस्त्र आयुक्त कार्यालय के दावा प्रस्तुत करने के लिए टेबल 6(बी) के फार्मेट अनुलग्नक-दो के परिपत्र सं 5(2005-06 श्रृंखला) दिनांक 8/9/2005) में निम्न प्रकार से संशोधन किया गया है :-

	20 प्रतिशत ऋण सम्बद्ध आर्थिक सहायता प्रौ उ नि यों के तहत आने वाली वस्त्र मशीनरी का विवरण:-							
	(बी) आयातित मशीनरी							
क्र. सं.	मशीनरी का विवरण	मशीनों की सं.	नवीन अथवा उपयोग की जा चुकी मशीन	बिल ऑफ एन्ट्री आगम पत्र	इनका इस की कीमत बीजक मूल्य	करघे की गति	करघे की चौड़ाई	सी आई एफ की कीमत (रूपये के रूप मे) अथवा बेंचमार्क कीमत पुरानी उपयोग की जा चुकी मशीन के बारे में इसमें से जो भी कम हो एवं आगम बिल के अनुसार वास्तव में अदा की गई सीमा शुल्क की राशि

उपरोक्त प्रौ उ नि यों में किए गए संशोधनों स्पष्टीकरणों को सभी संबंधितों की जानकारी में लाया जाए ।

(श्रीमती शशी सिंह)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त

प्रति :-

1. सभी राज्यों के सचिव (वस्त्र)
2. आईडीबीआई एवं सिडबी के सभी प्रा.ऋ.संस्थान
3. सभी मुख्य वस्त्रोद्योग संघ/व्यापार संघ/अखिल भारतीय उद्योग संघ/वाणिज्य एवं उद्योग मंडल
4. वस्त्र आयुक्त के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी अधिकारी
5. सचिव, वस्त्र समिति, मुंबई
6. सभी विद्युत करघा सेवा केंद्रों के प्रभारी अधिकारी
7. सभी वस्त्र अनुसंधान संघों के निदेशक
8. सभी ई.पी.सी. के कार्यकारी निदेशक
9. विकास आयुक्त (हथकरघा)
10. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)
11. पटसन आयुक्त
12. सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड
13. महानिदेशक, एनआईएफटी
14. प्रमुख वृत्त अभिकरण

उपरोक्त संदेश को समाचार पत्रों/आवधिकों/पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित/समावेश करके प्रौ.उ.नि. योजना में किए गए संशोधनों/आशोधनों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाने के अनुरोध के साथ ।

प्रतिलिपि निम्नलिखितों को सूचना हेतु :-

1. आईएम.एस.सी. एवं टी.ए.एम.सी. के सभी सदस्य
2. श्री सुदृप्तों रॉय, संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -11.
3. श्री मनीष गुप्ता, निदेशक, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -11.
4. श्री विजय कुमार, अनुभाग अधिकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली -11

(श्रीमती शशी सिंह)
संयुक्त वस्त्र आयुक्त